60

20रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँचरुपये FIVE RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2018 जिला–टीकमगढ
निगरानी- 5400/2018/ टीकमगढ़/भू.रा.

मल्थुआ पुत्र श्री हल्काई अहिरवार,
निवासी नंदनपुर तहसील मोहनगढ़,
जिला – टीकमगढ (म.प्र.)

-- आवेदक

विरूद्ध

प्रकाश पुत्र श्री हजारी अहिरवार,
निवासी नंदनपुर तहसील मोहनगढ़,
जिला – टीकमगढ (म.प्र.)

-- अनावेदकगण

श्री ... द्वारा आज दि. 4/9/18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 18-9-18 नियत। क्लर्क ऑफ कोर्ट 4-9-18 राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

4/9/18

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जतारा, जिला टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 124/2017–18 अपील में पारित आदेश दिनांक 28.08.2018 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों व आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, नामांतरण पंजी क्रमांक 6 के द्वारा भूमि सर्वे क्रमांक 258/2/1 रकवा 1.577 हैक्टेयर के 1/2 भाग पर आवेदक के पिता हल्काई पुत्र श्री पुन्नू का नामांतरण दिनांक 12.10.1991 को किया गया था। जिस पर अनावेदक प्रकाश पुत्र श्री हजारी के हस्ताक्षर हैं। ऐसी स्थिति में उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा प्रथम अपील लगभग 28 वर्ष बाद न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, जतारा के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी।

2– यहकि, न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, जतारा के समक्ष अनावेदक की ओर से प्रस्तुत अपील को क्रमांक 124/2017–18 पर पंजीबद्ध कर कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। उपरोक्त अपील स्पष्टतः अवधि वाह्य थी इस संबंध में आवेदक की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्पष्ट आपत्ति की गयी थी। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत की गयी आपत्ति पर विधिवत् विचार किये बिना ही पारित आदेश दिनांक 28.08.2018 से परिसीमा अधिनियम की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने का आदेश पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय के इसी आदेश से व्यथित होकर आवेदक द्वारा यह वर्तमान पुनरीक्षण उपरोक्त तथ्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित आधारो पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

पुनरीक्षण के आधार :

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग. 5400/2018/टीकमगढ़/भू.रा.

मल्थुआ विरूद्ध प्रकाश

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19–09–18	प्रकरण प्रस्तुत । प्रकरण में दिनांक 19.09.2018 को आवेदक(निगरानीकर्ता) मल्थुआ पुत्र हल्काई अहिरवार के अधिवक्ता श्री दिवाकर दीक्षित द्वारा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत दिये गये निगरानी आवेदन को ग्राह्यता पर एवं संहिता की धारा 52 अंतर्गत प्रस्तुत स्थंगन आवेदन पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जतारा के प्र.क्र. 124/2017–18/अपील में पारित आदेश दिनांक 28 अगस्त 2018 के परिप्रेक्ष्य में सुना जा चुका है। अनावेदक के अधिवक्ता श्री लाखन सिंह को भी उक्त दिनांक में सुना जा चुका है । उभयपक्ष अधिवक्ताओं के द्वारा उपलब्ध अभिलेख के आधार पर निर्णय हेतु अनुरोध किया गया था । 2/ आवेदक/निगरानीकर्ता मल्थुआ के द्वारा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी अनुविभागीय अधिकारी जतारा के प्रकरण क्रमांक 124/2017–18/अपील में पारित आदेश दिनांक 28.08.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनावेदक प्रकाश तनय हजारी अहिरवार ने अपील आवेदन के साथ परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन को त्रुटिपूर्ण	

स्वीकार किया गया है।

4/ मेरे द्वारा निगरानी मेमों में अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 28.08.2018 का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ उपखण्डीय अधिकारी के न्यायलय में अनावेदक प्रकाश तनय हजारी अहिरवार के द्वारा संहिता की धारा 44 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक मण्डल गोर की नामांतरण पंजी क्रमांक 06 में पारित आदेश दिनांक 12.10.1991 के विरूद्ध अपील की गई थी। अपील आवेदन के साथ परिसीमा अधिनियम की धारा 5 का औचित्य दर्शाते हुये आवेदन प्रस्तुत किया गया था।

5/ अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिये गये विभिन्न न्याय दृष्टांत का भी उल्लेख किया गया है, जिनके अनुसार 38 वर्ष विलम्ब से भी प्रस्तुत की गई अपील में न्यायहित में धारा 5 का आवेदन स्वीकार किया गया । अतः न्यायहित में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.08.2018 में किसी प्रकार की कोई त्रुटि प्रकट न होने के कारण निगरानी आवेदन अग्राह्य किया जाता है।

6/ पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो।

19.9.18

(आर.के. जैन)
सदस्य